UPBJ010099722023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 1984/2023

सरकार बनाम शमीम आदि

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **शमीम, शादाब व नदीम** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 21.05.2023 को समय 10:10 बजे स्थान ग्राम शेर नगर नरैनी थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा राजकुमार को लाठी–डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा राजकुमार को धारदार खतरनाक हथियार से मारपीट कर वादी का कान काट कर अंग भंग कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 326/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा राजकुमार को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा राजकुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा राजकुमार को जाति सूचक गन्दी–2 गालियॉ देते हुए लाठी–डंडो व धारदार हथियार से यह जानते हुए मारपीट कर कान काट दिया कि वह अनुसूचित जाति का हैं। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास या

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.11.09 16:52:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(2)5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 09–11–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 09–11–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010099722023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 1984/2023

सरकार बनाम शमीम आदि

<u>09–11–2023</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण शमीम, शादाब व नदीम जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण शमीम, शादाब व नदीम के विरूद्व धारा 323/34, 326/34, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 09–11–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण शमीम, शादाब व नदीम के विरूद्व धारा 323/34, 326/34, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –12–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 09–11–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।